शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या:-821/78-1-2020-25/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन,

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 15 जुलाई 2020

विषयः- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ने "उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020" निर्गत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। उक्त नीति की प्रति संलग्न है।

2- उक्त नीति को अनुमोदित करने के साथ ही मा0 मंत्री परिषद द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है:-

(1) पात्र स्टार्टअप्स को नीति के प्रस्तर-9.3(II) में प्राविधानित सीड कैपिटल/विपणन सहायता के मद में आने वाले व्यय को वहन करने के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि का प्राविधान वित्त विभाग द्वारा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मद में किया जायेगा। नीति के अन्तर्गत अन्य मदों के वित्त पोषण के लिए अब्दुल कलॉम औद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा 150.00 करोड़ रूपये की धनराशि कारपस के रूप में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की नोडल एजेन्सी यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कारपस के रूप में कार्यान्वयन करने के साथ अब्दुल कलॉम औद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा नीति के अन्तर्गत प्रस्तर-8.5 द्वारा प्रस्तावित नवाचार हब की स्थापना अपने संसाधन से की जायेगी तथा प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही भी अपनी स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत की जाती रहेगी।

(2) उक्त कारपस से नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों का वित्त पोषण किया जायेगाः-

(i) इन्क्यूबेटर्स को नीति के प्राविधानों के अनुसार कैपिटल ग्राण्ट तथा आपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए अनुदान।

(ii) इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्वीकृत एक्सीलेरेशन कार्यक्रम, इन्क्यूबेटर्स एनुअल रैंकिंग्स तथा प्रत्येक वर्ष चयनित किये गये सर्वश्रेष्ठ नवरत्न इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन।

(iii) स्टार्टअप्स को भरण-पोषण भत्ता।

(iv) पेटेन्ट फाइलिंग कास्ट तथा अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राज्यीय आयोजनों में भाग लेने के लिए सहायता।

(v) प्रदेश में स्थापित किए गये सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के लिए नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान।

(vi) स्टार्टअप्स के संबंध में जागरूकता संबंधी गतिविधियां।

(3) कारपस के संचालन में तथा नीति अन्तर्गत मानक इत्यादि निर्धारित करने में प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा अब्दुल कलॉम औद्योगिक विश्वविद्यालय की सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नीति में प्रस्तावित 'राज्य स्तरीय नीति अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन' समिति का गठन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राविधानित है और प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा इस समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। नीति के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 'नीति कार्यान्वयन इकाई' की स्थापना की जाएगी, जिसमें अब्दुल कलॉम औद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(4) यह उल्लेखनीय है कि नीति के अन्तर्गत उन्हीं स्टार्टअप्स को सहायता दी जायेगी जो भारत सरकार के स्टार्टअप इण्डिया प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे और आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा भारत सरकार के स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गयी गाइडलाइन्स को अंगीकृत किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-821(1)/78-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, विभागीय मंत्री/उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
4- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ ।
5- गार्डफाइल।

अज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव।